पत्रांक – 29 / बी०एस०जी०–02 / 2019–20 / 271 / बजट

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

राँची, दिनांक : 11/07/2019

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

विषय : विभागों द्वारा किये जाने वाले प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह स्वभाविक है कि बजट में प्रावधानित राशि की आवश्यकता नहीं रहने पर विभागों द्वारा राशियाँ प्रत्यर्पित की जाती हैं। राशि प्रत्यर्पण की यह प्रक्रिया वर्षवार चलती रहती है। महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ हुए Entry Conference में यह बात उभर कर सामने आयी कि एक ओर विभाग बजट में प्रावधानित राशि का प्रत्यर्पण तो कर देते हैं और पूनः उसी प्रत्यर्पित राशि का व्यय भी कर देते हैं। परिणामतः ऐसे मामले अंततः अधिकाय व्यय के (excess payment) के बन जाते हैं।

अतः अनुरोध है कि विभाग पहले सुनिश्चित हो लें कि जिस राशि का प्रत्यर्पण किया जा रहा है, उसमें आवंटन नहीं दिया गया है। यदि राशि आवंटित है तो पहले आवंटन वापस (revoke) लेकर ही राशि का प्रत्यर्पण करें। विभाग द्वारा किया जाने वाले प्रत्यर्पण अन्तिम माने जाएगें।

विश्वासभाजन,

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक : 29 / बी०एस०जी०–02 / 2019–20 / 271 / बजट, राँची, दिनांक : 11/07/2019

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना सह वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सतेन्द्र सिंह)
सचिव (व्यय)।